

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान... लांगच

दिनांक :- 02/06/23

-:: आदेश ::-

पार्थी के "खाता दुरुरती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी लांगच व
भू-अभिलेख निरीक्षक सिम्पुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशांका के आधार पर राजस्थान
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंगुसरण में ग्राम लांगच तहसील कपासन जिला
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या 132
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि कोइ निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद
के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>लांगच</u>	<u>132</u>	<u>शम्भु पुत्र जुवारा नाथ</u>	<u>शम्भुलाल पुत्र जुवारा नाथ</u>

([Signature])
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़
दिनांक :-

क्रमांक / 119
प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार को भजे कर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएं।
3. रक्षित पत्रावली।

([Signature])
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़

